श्रीया राम बनाम सरकार
मुकदमा संख्या:-03/43/2025
निर्णय दिनांक:-26.09.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ़ जिला-अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :- 03/43/2025 **ऑन लाईन नम्बर:-2025/232** **प्रवेश तिथि:-08.08.2025**

1. श्रीया राम पुत्र स्व0 श्री जमना लाल, आयु 61 वर्ष जाति कोली निवासी ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर।

............प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार टहला जिला अलवर

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री सीतारा‍म वशिष्ठ प्रार्थी एड.

-:निर्णय:-

दिनांक 26.09.2025

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 128 आराजी खसरा नम्बर 668/0.16, 670/0.20, 671/0.14, 672/0.13, कुल किता 4 कुल रकबा 0.63 है0 हिस्सा 1/2 व खाता संख्या 129 खसरा संख्या 660/0.05, 668/710/0.02, 669/0.25, है कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 हिस्सा 1/4 वाके ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी प्रार्थी को उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई थी। तथा उक्त आराजी प्रार्थी की पैत्रिक आराजी है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी नाम **श्रीया राम पुत्र जमना लाल** की जगह सहवन से **श्री नारायण पुत्र जमनालाल** दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के नाम अन्य रिकार्ड में **श्रीया राम पुत्र जमना लाल** दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सही नाम **श्रीया राम पुत्र जमना लाल** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार टहला से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार टहला के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2025/2256 दिनांक 15.09.2025 की मौका ज़ॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। तहसीलदार टहला की रिपोर्ट से साबित है कि **श्रीया राग पुत्र जमना लाल** व **श्री नारायण पुत्र जमनालाल** एक ही व्यक्ति है। जिसका सही नाम **श्रीया राम पुत्र जमना लाल** होना बताया गया। तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार हाल रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम **श्रीया राम पुत्र जगना लाल** की जगह

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

सहवन से **श्री नारायण पुत्र जमनालाल** दर्ज कर रखा है उसके स्थान पर प्रार्थी का नाम **श्रीया राम पुत्र जमना लाल** दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 128 आराजी खसरा नम्बर 668 / 0.16, 670 / 0.20, 671 / 0.14, 672 / 0.13, कुल किता 4 कुल रकबा 0.63 है0 हिस्सा 1 / 2 व खाता संख्या 129 खसरा संख्या 660 / 0.05, 668 / 710 / 0.02, 669 / 0.25, है कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 हिस्सा 1 / 4 वाके ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी **श्रीया राम पुत्र जमना लाल** की जगह सहवन से **श्री नारायण पुत्र जमनालाल** दर्ज कर दिया। जिसे दुरूस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत तहसीलदार टहला की रिपोर्ट दिनांक 15.09.2025 का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आराजी खाता संख्या 128 आराजी खसरा नम्बर 668 / 0.16, 670 / 0.20, 671 / 0.14, 672 / 0.13, कुल किता 4 कुल रकबा 0.63 है0 हिस्सा 1 / 2 व खाता संख्या 129 खसरा संख्या 660 / 0.05, 668 / 710 / 0.02, 669 / 0.25, है कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 हिस्सा 1 / 4 वाके ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार टहला को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम श्री नारायण पुत्र जमनालाल दर्ज है उसके स्थान पर श्रीया राम पुत्र जमना लाल दुरूस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला—अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते